



# Government of Jharkhand

## Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 63298e301411c6f757cb

Receipt Date : 22-May-2024 11:11:20 am

Receipt Amount : 45200/-

Amount In Words : Forty Five Thousands Two Hundred Rupees Only

Token Number : 202400063041

Office Name : SRO - Palamu

Document Type : Sale Deed

Payee Name : AJAY KUMAR MEHTA ( Vendee )

GRN Number : 2402208514



:- For Office Use :-

Placed  
22-5-2024

21 तथा छोटाना-पुर  
258 की धारा 46 के  
अनुच्छेद 1899 के अन्तर्गत  
के अन्तर्गत  
निर्वाहक सहायक

22 MAY 2024

22 MAY 2024

स रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्राक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट  
र अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्राक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय  
द्राक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अशोक श्रीवास्तव

1130000



अभिमान  
किश्मत मेहता  
समावेत फि...

33900  
33904

22 MAY 2024

**SALE DEED**

1. लेख्यकारी का नाम एवं पुरा पता:- (बिक्रेता)

श्री अशोक तिवारी पिता का नाम शोमनाथ तिवारी सामान्य जाति (छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 के अन्तर्गत अच्छादित नहीं हैं) निवास स्थान ग्राम रेडमा, पोस्ट चियांकी, थाना मेदिनीनगर जिला पलामू एवं वर्तमान निवास स्थान ग्राम भोगू, पोस्ट लहलहे, थाना मेदिनीनगर जिला पलामू (झारखण्ड) पेशा खेती, नागरिकता भारतीय।

आधार नं० XXXX XXXX 7466 PAN- CAAPT9894H

शपथ पत्र सं०-1582

दिनांक-22-05-2024

2. लेख्यघारी का नाम एवं पुरा पता:- (क्रेता)

- (1) श्री अजय कुमार मेहता आधार नं० XXXX XXXX 6836
- (2) श्री धनन्जय कुमार मेहता आधार नं० XXXX XXXX 7965
- (3) श्री विजय कुमार मेहता आधार नं० XXXX XXXX 9597

तीनों के पिता का नाम श्री अवध बिहारी मेहता पिछड़ी जाति वर्ग II (छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 के अन्तर्गत अच्छादित नहीं हैं)

अशोक तिवारी कर्णाल तिरवा और के वाला

पडहिया 22.5.24

प. अशोक तिवारी  
पिता अशोक तिवारी  
ग्राम भोगू  
थाना डालटेनास पलास 22.5.24

निवास स्थान ग्राम पिपरा खुर्द, पोस्ट बांसडीह, थाना लेस्लीगंज जिला पलामू (झारखण्ड) पेशा खेती नागरिकता भारतीय।

PAN क्रमशः BVXPM8999M, CZTPM4212N & GKJPM3389F

शपथ पत्र सं०-1583, 1584, 1585 दिनांक-22-05-2024

3. लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र (Sale Deed)

4. (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य:- मुबलीग 11,28,000/- (ग्यारह लाख अठाईस हजार) रुपये मात्र।

(ख) देय मूल्य:- मुबलीग 11,30,000/- (ग्यारह लाख तीस हजार) रुपये मात्र।

5. सम्पत्ति:- आवासीय भूमि 4 (चार) डी० अन्दर ग्राम रेडमा, थाना एवं अंचल मेदिनीनगर जिला पलामू। इलाके एवं जिला अदर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू। हकियत उत्तराधिकार में हक हासिल है। दस्तावेज के साथ बिक्री भू-खण्ड का नक्शा संलग्न है, जो दस्तावेज का अभिन्न अंग है।

### भूमि का विवरण:-

थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	हल्का नं०	मौजा
188	51	01	3	रेडमा

नगर निगम हो० नं०-17A0000865000M0 वार्ड नं० 17A

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
301 (तीन सौ एक)	1244 (बारह सौ चौवालीस)	04 डी०	उ०- रास्ता द०- बिक्रेता नीज पू०- पत्नी शुक्ला वगैरह प०- पिण्ड एवं पूर्व से बिक्रेता द्वारा दिया गया 15 फीट चौड़ा रास्ता

वार्षिक राजस्व- अनुमानित 4 रु० अलावे सेस।

लगान पाने वाला- झारखंड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी मेदिनीनगर जिला पलामू।

31/05/24  
22.5124

Witnessed by  
Safendra Kumar Tiwary  
S/o - Lat. Sugriwa Tiwary  
Vill. - Tona, P.O. - Bhandar  
D.S. - Biswanpur Palamu

बिक्री भू-खण्ड का माप

उत्तर तरफ- पूरब से पश्चिम 59 फीट 9 इंच

दखिण तरफ- पूरब से पश्चिम 59 फीट 9 इंच

पूरब तरफ - उत्तर से दक्षिण 29 फीट 3 इंच

पश्चिम तरफ - उत्तर से दक्षिण 29 फीट 3 इंच

विदित हो कि उपर वर्णित सम्पति लेख्यकारी को उत्तराधिकार में हक प्राप्त है, जिसका डिमाण्ड लेख्यकारी की माता तारा देवी के नाम से जमाबंदी संख्या 210 पर चलता है तथा कम्प्यूटरीकृत पंजी ॥ के भाग वर्तमान 36 पृष्ठ सं० 12 पर दर्ज है। लेख्यकारी की माता का स्वर्गवास हो चुका है, इस कारण उक्त सम्पति का उत्तराधिकारी लेख्यकारी भी है, जिसपर लेख्यकारी का दखल-कब्जा शांति पूर्ण रूप से कायम है। उक्त सम्पति पर बिक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का हक, हिस्सा अथवा दखल-कब्जा नहीं है और न ही इस पर किसी भी प्रकार का ऋणभार, अथवा वारदैन किया गया है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का विवाद ही है। संक्षेप में यह सम्पति हकियत के सभी दोषों तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

चुंकि लेख्यकारी को अपने विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपये की आवश्यकता आ पड़ी है जिसका प्रबन्ध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाना सम्भव प्रतीत नहीं हुआ है। अतएव इस संबंध में लेख्यकारी ने अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ अच्छी तरह से विचार-विमर्श किये और सर्व सम्मति से यह निश्चय किये कि अपने उपरोक्त सम्पति को बिक्री कर दिया जाए और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अतः उपरोक्त सम्पति को बिक्री का प्रचार कराये। परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए और सबों ने इसका अलग-अलग मूल्यांकन भी किये, परन्तु अन्त में लेख्यधारी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भली-भांति निरीक्षण किए तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए आज के बाजार भाव के अनुसार उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किए तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे

अंशित लिख

22.10.14

Witnessed by

Rakesh Rajan Bhatia

Sh. Late - Bankeshwar Pandey  
Vill + P. O - A. L. D. ...

स्वयं ही खरीदना भी स्वीकार किए। लेख्यकारी भी इस मूल्यांकन के प्रत्येक बिन्दु को उचित तथा अधिकतम मूल्य देखकर सौदे को लेख्यधारी के साथ पक्का कर लिये।

यह कि देय मूल्य की पूरी रकम लेख्यकारी ने लेख्यधारी से भुगतान प्राप्त कर चुके हैं। देय मूल्य की रकम में से अब लेख्यकारी को क्रेता से कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है, इसलिए उक्त सम्पत्ति लेख्यकारी ने लेख्यधारी के नाम से हस्तांतरित कर दिये और उपर वर्णित सम्पत्ति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल-कब्जा एवं स्वामित्व उठा कर आज ही क्रेता को सौंप दिये। इस प्रकार से उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में लेख्यकारी का आज तक जो भी हक, अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को प्राप्त हुए। अब लेख्यधारी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा उपभोग करके लाभ उठावे अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे अब लेख्यकारी को या इनके परिवार के किसी भी अन्य उत्तराधिकारीयों को अथवा स्थानापन्न को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहा और ना ही भविष्य में कभी भी रहेगा। अब लेख्यधारी को चाहिए कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में झारखंड सरकार के सिरिस्ते में अंचल कार्यालय द्वारा अपने नाम का दाखिल-खारीज करा लें तथा सालाना माल देकर इसके लगान की रसीद को स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

इस दस्तावेज में वर्णित भू-सम्पत्ति सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि, किसी भी धार्मिक संस्था की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि नहीं है, उक्त सम्पत्ति हस्तांतरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तथा विवाद रहित एवं अधिभार मुक्त है।

अब लेख्यकारी उपरोक्त सम्पत्ति से दर गुजरे एवं बाज आये इसलिए लेख्यकारी ने अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस विक्रय पत्र (केवाला बय-ला कलामी) को क्रेता के पक्ष में तैयार कराकर पढ़वाकर सुन-समझ लिये सही पा

अखिल  
2014

कर निष्पादित कर दिये जो भू हस्तांतरण का स्थायी प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। आज दिनांक-22-05-2024 स्थान मेदिनीनगर जिला पलामू।

~~Handwritten signature~~ Abay Kumar Kalla  
22-5-24

अभिप्रमाणित  
~~Handwritten signature~~  
किस्मत मेहता  
दस्तावेज  
ला० नं० 111/03  
मेदिनीनगर

अशोक सिवा

Charanjit Kumar Mehta  
22-5-24

अभिप्रमाणित  
~~Handwritten signature~~  
किस्मत मेहता  
दस्तावेज लिपि  
ला० नं० 111/03  
मेदिनीनगर

~~Handwritten signature~~  
22-5-24

अभिप्रमाणित  
~~Handwritten signature~~  
किस्मत मेहता  
दस्तावेज  
ला० नं० 111/03  
मेदिनीनगर

मैं ~~Handwritten signature~~ (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला० नं० 111/03 स्थान मेदिनीनगर प्रमाणित करता हूँ कि इस दस्तावेज में जिन-जिन व्यक्तियों का छायाचित्र लगा है उनके बायें हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया है।

प्रारूपकर्ता:- ~~Handwritten signature~~ (किस्मत मेहता) दस्तावेज नवीस ला० नं० 111/03 स्थान मेदिनीनगर, दस्तावेज पढ़कर दोनों पक्षों को सुना व समझा दिया, बोले कि ठीक है।